[illegible] अभियोजन स्वीकृति के अभाव में अभियोजी पेशी होने
पर अगली तिथि 21/7/2020 को पेश हो।

[illegible] अभियोजन स्वीकृति के अभाव में अभियोजी पेशी होने
पर अगली तिथि 09/9/2020 को पेश हो।

[illegible] अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
सही स्वीकार किया जाने पर अगली नियत
पेशी से पूर्व ही आकर प्राप्त पेशी पर्ची
की के जरिये अभियोजन प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन
किया कि प्रकरण में विवादित परस्पर के
मध्य राजीनामा हो चुका है। पत्रावली उभय
पक्षकार में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते
अतः प्रार्थना स्वीकार कर वादपत्र विड्रा किये
जाने की अनुमति प्रदान करें।

[illegible] अभियोजन पक्ष के द्वारा पत्रावली में उपलब्ध
दस्तावेजात को देखा है एवं पक्षकारों में समझौता
होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "अ" वादपत्र विड्रा
किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
पक्षकारों के आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं
है। अतः कार्यवाही पक्षकारों की लागत पर समाप्त
की जाती है। पत्रावली फैसला शुमार होकर
अलमारी के कर दी जाये तथा बाद डिक्रीज दाखिल
दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया।

(सुरभि चतुर्वेदी)
न्यायाधीश
राजस्व न्यायालय
(जिला कैथल) हरियाणा

Scanned with CamScanner